

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2960
गुरुवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

रोजगार का सृजन

2960 श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी की प्रवृत्तियों का आकलन किया है;
- (ग) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या और उन्हें प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2022 में 54.1% से बढ़कर 2025 में 57.4% हो

गया है; अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2022 में 56.1% से बढ़कर 2025 में 59.3% हो गई है, जबकि अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2022 में 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और इसमें 27 उद्योगों के रोजगार संबंधी अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार वर्ष 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 की अवधि के बीच 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही, वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) शुरू किया, जिसमें प्लेटफॉर्म कामगार, प्रवासी कामगार आदि शामिल हैं। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है। अब तक, ई-श्रम पोर्टल पर 31.87 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही पंजीकृत हैं।

बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया, जिसमें एक ही पोर्टल पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाएं एकीकृत हैं और जिससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच और उनके द्वारा ई-श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सहायता मिलती है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और उन तक पहुँच प्रदान की जा सके, जिनमें प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), विकसित भारत-रोजगार एवं अजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम का रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) से, कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) से, पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) से तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल से संमिलन किया गया है ताकि ई-श्रम कार्ड धारक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकें।

'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है जिसका उद्देश्य मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में लाकर उन्हें सरल बनाना है और सभी प्रकार के कामगारों जिनमें संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्वरोजगार से जुड़े कामगार भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रकार के रोजगारों और राज्यों के बीच लाभों के सहज हस्तांतरण को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएँ बनाने में मदद करना, बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और सरकारों, नियोक्ताओं व समूहों की भूमिकाओं को स्पष्ट तौर पर तय करना शामिल है ताकि बदलते श्रम बाज़ार के अनुरूप कार्य बल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
